राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः प. 7(549) परि/नियम/मु./2016/21478 जयपुर, दिनांकः 30.09.2016

कार्यालय आदेश सं.35/2016

विषयः— 15 वर्ष से अधिक आयु के वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की योजना।

1. राज्य में वर्ष 1951 से दिनांक 31.03.2016 तक कुल 1,36,32,176 वाहन पंजीकृत है। इन पंजीकृत वाहनों मे गैर—परिवहन वाहनों की संख्या 1,25,48,622 व परिवहन यानो की संख्या 10,83,554 है। विभाग के पास ऐसा कोई mechanism नहीं है जिससे विभाग को यह पता चल सके कि राज्य में आदिनांक तक वास्तविक रूप से कितने वाहन सडकों पर नियमित रूप से प्रयोग में लाये जा रहे है। वास्तविक रूप से राज्य में संचालित वाहनों की संख्या की जानकारी के अभाव में परिवहन क्षेत्र को विकसित करने की योजना तैयार कर इसकी क्रियान्विति संभव नही हो पाती है। वहीं वास्ततिक रूप से संचालित वाहनों की जानकारी के अभाव में सडक दुर्घटनाओं के आंकडों का, वाहनों द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण इत्यादि का विश्लेषण भी भ्रामक/महत्त्वहीन हो जाता है। यह भी सर्वविदित है कि इन पंजीकृत वाहनों में से काफी बडी संख्या में वाहन या तो नष्ट हो चुके हैं या ये वाहन सार्वजनिक स्थानों पर संचालन योग्य नहीं है। अतः ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि राज्य में पंजीकृत वाहनों में से वास्तविक रूप से संचालित वाहनों की जानकारी एवं ऐसे वाहन जो नष्ट हो चुके है अथवा जो मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन कर संचालित हो रहे हैं, को विभाग के रिकार्ड से phase out किया जावे। अतः इस हेतु एक कार्ययोजना जो मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों के परिपेक्ष्य में हो, तैयार किये जाने को आवश्यक महसूस की गई है।

2. इस संदर्भ में वर्तमान मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं इसके अधीन बनाये गये नियमों का मुख्यालय स्तर पर परीक्षण करने पर यह पाया गया है कि अगर पंजीयन अधिकारी नियमों में वर्णित प्रावधानो की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करे तो विभाग 15 वर्ष या इससे अधिक पुराने संचालित वाहनों की संख्या का आकलन कर सकता है, एवं इस प्रकार के वाहनों को चरणबद्ध तरीके से phase out भी कर सकता है। इस कार्य हेतु मोटर वाहन नियमों के प्रावधानों को सही परिपेक्ष्य में समझने एवं इन्हे लागू करने की महती आवश्यकता है।

   (1) इस हेतु सर्वप्रथम मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41 का अवलोकन करना आवश्यक है। इस धारा की उपधारा (7), (8) एवं (10) को राजस्थान राज्य के लिये दिनांक 04.03.2002 को संशोधित कर उप धारा (7) व (8) में

प्रयुक्त शब्द "other than a transport vehicle" को विलोपित किया गया, वहीं संशोधित उप–नियम (7) के बाद निम्न परन्तुक जोड़ा गया:–

" Provided that in the case of transport vehicles, State Government may require the transport vehicle to be re-registered in the manner prescribed, subject to the age limit, if any, prescribed under section 59 of the Act."

उप–धारा (7) एवं (8) में "other than a transport vehicle" शब्दों को विलोपित करने के परिणामस्वरूप सभी श्रेणी के परिवहन यानों एवं गैर–परिवहन यानों के पंजीयन प्रमाणपत्र की वैधता अवधि 15 वर्ष हो गई। वहीं धारा 41 की उप–धारा (7) में जोडे गये परंतुक के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा दिनांक 13.03.2003 को राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 में नया नियम 4.2–A जोड़ा जा कर ऐसे परिवहन यान जो वाहन की प्रथग पंजीयन तिथि से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके है को इस अवधि के पूर्ण होने पर पुनः पंजीयन करने का प्रावधान भी किया गया। उक्त नियम 4.2–A निम्नानुसार है:–

" **4.2-A Re-registration of Transport Vehicles**.- Transport Vehicles which complete 15 years from the date of their first registration shall be re-registered. A transport vehicle shall not be deemed to be validly registered for the purpose of section 39 after the expiry of 15 years from the date of its first registration until the vehicle is re-registered. The re-registration shall be made in the following manner;-

(1) An application for re-registration shall be made to the Registering Authority in whose jurisdiction the owner has the residence or place of business where the vehicle is normally kept.

(2) (i) Where the vehicle is registered in the state, an application for re-registration of the vehicle shall be made within a period of not more than ninety days before the completion of 15 years from the date of its first registration:

Provided that in case of vehicles which have completed 15 years or more on the commencement of the Rajasthan Motor Vehicle (IInd Amendment) Rules, 2003 and for those vehicles which shall be completing 15 years within a period of 90 days from the date of commencement of the Rajasthan Motor Vehicles (IInd Amendment) Rules, 2003 the period allowed shall be 90 days.

Provided further that the vehicle shall be deemed to be validly registered during period allowed for re-registration.

(ii) Where the vehicle is registered outside the State and is brought in the state for assignment of new registration mark, transfer of ownership, or for change of residence or place of business in this State, the said period shall be

within one year from the date of arrival of the vehicle in the state or from the date of assignment, whichever is earlier.

(3) An application for re-registration shall be made in from R.S. 4.1-A and shall be accompanied by.-

(a) Registration Certificate of the vehicle;

(b) Valid insurance certificate alongwith its attested photo-copy;

(c) Proof of address by way of any of the documents referred to in rule 4 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989;

(d) Valid fitness certificate alongwith its attested photo-copy or application for fitness certificate;

(e) 3 Passport size photographs of the owner;

(f) Tax clearance certificate/M.T.C. IV (alongwith attested photo-copy) as prescribed in the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Rules, 1951, the case may be;

(g) Inter-district no objection certificate, if applicable;

(h) Consent of the financier for re-registration;

(i) Fee equal to the amount as prescribed for the registration of similar type of vehicles in the Central Motor Vehicles Rules, 1989.

Note:- Attested copies of documents mentioned in above sub-clauses (b), (d) & (f) shall be verified form original certificates and original certificates shall be retured.

(4) If the owner fails to make a application within the period prescribed under clause (2), the Registering Authority shall require the owner to pay in lieu of any action taken against him under section 177, an amount as follows:-

(i) Rs. 50, if the delay does not exceed thirty days, and

(ii) Rs. 100, if the delay exceed thirty days.

(5) On receipt of an application, the Registering Authority shall, before re-registering and assigning a new registration mark, require the owner to produce the motor vehicle before him or before the Motor Vehicles Inspector or Motor Vehicle sub- Inspector, so that the Registering Authority may satisfy himself about the particulars of the Motor Vehicle.

(6) On being satisfied, the registering Authority shall issue to the owner of the Motor Vehicle, a certificate of registration in Form 23 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989 while doing so he shall cancel the original certificate of

registration and such cancelled certificate of registration shall be kept in the office of the Registering authority.

(7) The Registering Authority re-registering the vehicle shall intimate to the original Registering Authority about the new registration mark of the vehicle in Form R.S. 4.5A

(8) The validity of certificate of registration of re-registered vehicle under this rule shall be 15 years from the date of its re-registration subject to the age limit, if any, prescribed under section 59 of the Motor Vehicles Act, 1988.''

(2) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 41(10) में राजस्थान राज्य के लिये किये गये संशोधन में यह भी प्रावधान किया गया कि उक्त वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण राज्य सरकार द्वारा ऐसे वाहनों पर आरोपित सभी प्रकार के कर, शास्ती एवं ब्याज के संदाय करने पर 5 वर्ष की अवधि तक किया जा सकेगा। उक्त संशोधित उप–धारा (10) निम्नानुसार है:–

'' 41(10) Subject to the provisions of section 56, the registering authority may, on receipt of an application under sub-section (8), renew the certificate of registration for a period of five years and intimate the fact to the original registering authority, if it is not the original registering authority''

(3) संशोधित धारा 41 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 4.1–A के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि;

(i) राज्य मे पंजीकृत सभी श्रेणी के यानों के पंजीयन प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि वाहन की प्रथम पंजीयन दिनांक से 15 वर्ष होगी।

(ii) अगर यान परिवहन यान है तो ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र को वाहन की प्रथम पंजीयन तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.1-A के तहत् वाहन का पुनः पंजीयन करवाया जाना आवश्यक होगा एवं पुनः पंजीकृत वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 15 वर्ष होगी, तत्पश्चात ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र का प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।

(iii) अगर यान गैर–परिवहन यान है तो वाहन को प्रथम तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाणपत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा।

(iv) परिवहन यानों के पुनः पंजीयन एवं गैर–परिवहन यानों के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण से पूर्व वाहन पर देय समस्त कर, शास्ती एवं ब्याज का संदेय किया जाना आवश्यक होगा।

(4) उक्त नियमों के संदर्भ में अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (10) को भी देखा जाना आवश्यक है। इस उप–धारा में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया है कि पंजीयन अधिकारी उप–धारा (8) के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण करते समय अधिनियम की धारा 56 की अनुपालना सुनिश्चित करेगा एवं नवीनीकरण के आवेदन पत्र केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समयावधि, निर्धारित प्रारूप जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्देशित सूचना का उल्लेख हो, में प्राप्त कर वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण कर सकेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 41 की उप–धारा (8) के तहत् प्राप्त शक्तियों के तहत् केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 52 मे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण हेतु समयावधि, प्रारूप एवं प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। उक्त नियम 52 निम्नानुसार हैः–

" **52- Renewal of certificate of registration**- (1) An application by or on behalf of the owner of a motor vehicle, other than a transport vehicle, for the renewal of a certificate of registration; shall be made to the registering authority in whose jurisdiction the vehicle is, in Form 25 not more than sixty days before the date of its expiry, accompanied by the appropriate fee as specified in rule 81.

(1) On receipt of an application under sub-rule (1), the registering authority shall refer the vehicle to the authority referred to in sub-section (1) of section 56 and after obtaining a certificate of fitness form that authority, renew the certificate of registration:

A motor vehicle other than a transport vehicle shall not be deemed to be validly registered for the purposes of section 39, after the expiry of the period of validly entered in the certificate of registration and no such vehicle shall be used in any public place until its certificate of registration is renewed under sub-rule(2) "

इस नियम के तहत आवेदक को;

(i) वाहन की प्रथम पंजीयन दिनांक से 15 वर्ष पूर्ण होने के 60 दिवस से पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व के नवीनीकरण

का आवेदन केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप 25 में प्रस्तुत करना होगा।

(ii) आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर पंजीयन अधिकारी आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 56(1) में वाहन की फिटनेस जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी को प्रेषित करेगा। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात् वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण इस नियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार 5 वर्ष की अवधि हेतु किया जावेगा।

(iii) ऐसा कोई गैर–परिवहन वाहन जिसके पंजीयन प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो चुकी है, को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 39 के तहत् अवैधानिक माना जायेगा, जब तक कि ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण ना करवाया गया हो।

(iv) इस नियम में वर्णित प्रारूप 25 में फिटनेस हेतु वाहन का निरीक्षण करने वाले अधिकारी द्वारा वाहन के चैसिस नंबर/इंजन नंबर का मिलान पंजीयन प्रमाण पत्र में वर्णित चैसिस/इंजन नंबर से करना होगा। एवं यह सत्यापित करना होगा कि प्रस्तुत वाहन मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं इसके अधीन बने नियमों की पूर्ण पालना करता है। निरीक्षण करने वाले अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र पंजीयन अधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जा सकेगा। वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के अभाव में ऐसा वाहन वैधानिक रूप से पंजीकृत वाहन नहीं माना जायेगा, अर्थात ऐसा वाहन अपंजीकृत वाहन की श्रेणी में माना जायेगा, वहीं ऐसे वाहन का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं किया जा सकता है।

(v) धारा 56 जो परिवहन यानो को फिटनेस जारी करने के संबंध में है, में भी यह स्पष्ट उल्लेख है कि ऐसा परिवहन यान जिसके पास वैध फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है, भी अधिनियम की धारा 39 के तहत् वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा। अतः धारा 56 एवं धारा 41 में राजस्थान राज्य के लिये किये गये संशोधन के परिणामस्वरूप राज्य मे पंजीकृत प्रत्येक परिवहन यान को नियमानुसार फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है, वहीं ऐसे वाहन के 15 वर्ष पूर्ण होने पर वाहन का पुनः पंजीयन करवाना आवश्यक है। तत्पश्चात् प्रत्येक पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण भी आवश्यक होगा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 56 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 52 से यह स्पष्ट है कि ऐसा कोई परिवहन यान जिसका फिटनेस प्रमाण पत्र वैध नही है अथवा जिसके पास फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं है

अधिनियम की धारा 39 (जो मोटर वाहनों के पंजीयन से संबंधित है) के तहत् वैध रूप से पंजीकृत नही माना जायेगा। गैर–परिवहन वाहनों के संदर्भ में ऐसा वाहन जो वैध पंजीयन प्रमाण पत्र के बिना संचालित किया जाता है तो ऐसा वाहन भी अधिनियम की धारा 39 के तहत् वैध रूप से पंजीकृत नहीं माना जायेगा। अर्थात् परिवहन यान तथा गैर–परिवहन उपर वर्णित दोनों परिस्थितियों में ही वैध रूप से पंजीकृत नही होने के परिणामस्वरूप अपंजीकृत वाहन होंगे जब तक नियमानुसार वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र/पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण ना करवाया गया हो।

(6) मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 मोटर वाहनों के पंजीयन निलंबित करने के संबंध में है। धारा 53 (1) निम्नानुसार है:–

"53. **Suspension of registration.**-(1) If any registering authority or other prescribed authority has reason to believe that any motor vehicle within its jurisdiction-

(a) is in such a condition that its use in a public place would constitute a danger to the public, or that it fails to comply with the requirements of this Act or of the rules made thereunder, or

(b) has been, or is being, used for hire or reward without a valid permit for being used as such'

the authority may, after giving the owner an opportunity of making any representation he may wish to make (by sending to the owner a notice by registered post acknowledgment due at his address entered in the certificate of registration), for reasons to be recorded in writing, suspend the certificate of registration of the vehicle-

(i) in any case falling under clause (a), until the defects are rectified to its satisfaction; and

(ii) in any case falling under clause (b), for a period not exceeding four months."

उक्त धारा 53 की उप–धारा (1) के sub-clause (b) में यह प्रावधान है कि कोई वाहन अगर बिना अनुज्ञापत्र के hire अथवा reward पर संचालित होता हुआ पाया जाता है तो ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र अधिकतम 4 माह की अवधि हेतु पंजीयन अधिकारी द्वारा निलंबित किया जा सकता है, इसी प्रकार इस धारा 53(1) के sub-clause (a) में यह उल्लेखित है कि अगर पंजीयन अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के पास यह विश्वास करने के ऐसे कारण मौजूद है जिसमें उसे यह विश्वास है कि उसके क्षेत्राधिकार में संचालित वाहन

इस परिस्थिति में है कि ऐसे वाहन का सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग आमजन के लिये खतरनाक होगा अथवा ऐसा वाहन अधिनियम तथा नियमों की पालना करने में विफल रहा है तो पंजीयन अधिकारी ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित कर सकता है। ऐसे प्रकरणों में पजीयन प्रमाण पत्र निलंबित की अवधि तब तक होगी जब तक की वाहन में बताई गई कमियों की पूर्ति पंजीयन अधिकारी के संतोष के अनुसार ना की गई हो। अर्थात किसी भी वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र पंजीयन अधिकारी द्वारा ऊपर वर्णित दो परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है। प्रत्येक परिस्थिति के लिये पंजीयन के निलंबन की अवधि के पृथक–पृथक प्रावधान किये गये है।

(7) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 54 में अधिनियम की धारा 53 के तहत् निलंबित पंजीयन को निरस्त करने का प्रावधान वर्णित है। उक्त धारा 54 निम्नानुसार हैः–

"54. **Cancellation of registration suspended under section 53:-** Where the suspension of registration of a vehicle under section 53 has continued without interruption for a period of not less than six months, the registering authority within whose jurisdiction the vehicle was when the registration was suspended, may, if it is the original registering authority, cancel the registration, and if it is not the original registering authority, shall forward the certificate of registration to that authority which may cancel the registration."

उक्त धारा में यह स्पष्ट है कि किसी भी वाहन का धारा 53 के अधीन पंजीयन प्रमाण पत्र का निलंबन किसी अवरोध के बिना, कम से कम 6 माह की अवधि तक जारी रहा है तो ऐसे वाहन का मूल पंजीयन अधिकारी ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर सकता है और अगर ऐसा अधिकारी वाहन का मूल पंजीयन अधिकारी नही है तो ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र मूल पंजीयन अधिकारी को प्रेषित करेगा एवं तत्पश्चात् मूल पंजीयन अधिकारी ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर सकेगा।

3. ऊपर वर्णित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 54 को अधिनियम की धारा 53(1)(a) के संदर्भ में एवं अधिनियम की धारा 39, 41, 53, 54 एवं 56 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1951 के नियम 52 एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 4.1-A के अवलोकन करने पर निम्न वैधानिक स्थिति स्पष्टतः दृष्टिगोचर होती हैः–

(1) सभी श्रेणी के परिवहन एवं गैर–परिवहन यानों के पंजीयन प्रमाण पत्र की अवधि वाहन के प्रथम पंजीयन से 15 वर्ष तक होगी।

(2) गैर–परिवहन यानों के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण वाहन की पंजीयन तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर करवाया जाना अनिवार्य है।

(3) परिवहन यानों के लिये नियमित रूप से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है वहीं ऐसे वाहन के प्रथम पंजीयन तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर वाहन का पुनः पंजीयन करवाया जाना भी आवश्यक है।

(4) परिवहन यानों के पुनः पंजीयन तथा गैर–परिवहन यानों के लिये पंजीयन प्रमाण पत्र नवीनीकरण से पूर्व ऐसे वाहन पर देय समस्त कर, शास्ती एवं ब्याज की वसूली आवश्यक है।

(5) परिवहन यानों के पुनः पंजीयन करने के उपरांत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की वैधता अवधि 15 वर्ष होगी। इस अवधि के पूर्ण होने के पश्चात् ऐसे वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण प्रत्येक 5 वर्ष की अवधि पर करवाना होगा।

(6) परिवहन यान द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करना, 15 वर्ष से अधिक पुराने परिवहन यान का पुनः पंजीयन नही करवाने, वहीं 15 वर्ष से अधिक पुराने गैर–परिवहन यानों द्वारा वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नही करवाने पर ऐसे वाहन वैधानिक रूप से पंजीकृत नहीं माने जायेंगे तथा ऐसे वाहन का संचालन सार्वजनिक स्थानों पर भी नहीं किया जा सकता है।

(7) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53 के तहत् पंजीयन अधिकारी ऐसे किसी भी वाहन का जहां यह विश्वास करने का कारण है कि कोई वाहन ऐसी हालत में है जिससे सार्वजनिक स्थान में उसके उपयोग मे जनता के लिये खतरा पैदा होगा, या वह इस अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं करता है का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित कर सकता है। पंजीयन प्रमाण पत्र को निलंबित करने से पूर्व वाहन स्वामी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर प्रदान कर लिखित आदेश पारित करना आवश्यक है।

(8) धारा 53 के तहत् किसी यान के पंजीयन प्रमाण का निलंबन किसी अवरोध के बिना, कम से कम 6 माह की अवधि तक जारी रहता है तो पंजीयन अधिकारी, अगर वाहन का मूल पंजीयन अधिकारी है तो वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त कर सकता है और यदि वह मूल पंजीयन अधिकारी नही है तो पंजीयन प्रमाण पत्र उस पंजीयन अधिकारी को भेजेगा जो उस वाहन का मूल पंजीयन अधिकारी है तथा ऐसा मूल पंजीयन अधिकारी ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त कर सकेगा।

4. गत वर्षों में यह देखा गया है कि काफी बड़ी संख्या में परिवहन यानों द्वारा काफी लंबी अवधि से अधिनियम की धारा 56 की अवहेलना कर वाहनों हतु फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किये जा रहे हैं, वहीं राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.1-A की अवहेलना कर वाहन की पंजीयन तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् वाहनों का पुनः पंजीयन नहीं करवाया जा रहा है। विभाग में दिनांक 31.03.2016 तक कुल 10,83,554 परिवहन यान पंजीकृत है वर्ष 2015–16 में केवल 3,76,971 परिवहन यानों द्वारा ही फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त किये गये है। गैर परिवहन यानों में भी यह देखा गया है कि काफी बड़ी संख्या में गैर परिवहन वाहनो द्वारा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 52 की अवहेलना कर अपने पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। दिनांक 31.03.2001 तक 15 वर्ष या इससे पुराने पंजीकृत गैर–परिवहन वाहनों की संख्या 29,43,370 थी। इनके विरूद्ध बहुत कम वाहनों द्वारा ही अपने वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण करवाया गया है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, वहीं नियमों की अवहेलना कर संचालित वाहन सड़क सुरक्षा की दृष्टि से भी आम जन की सुरक्षा हेतु खतरा है, तथा विभाग को भी इन वाहनों के रिकार्ड का अनावश्यक रूप से संधारण करना पड़ता है। वहीं इन वाहनों के अवैध संचालन के परिणामस्वरूप विभाग को इन वाहनों से प्राप्त होने वाली संभावित फीस एवं ग्रीन टैक्स की प्राप्ति नहीं होने के कारण राजस्व को हानि भी होती है। यह भी उल्लेखनीय है कि काफी बडी संख्या में वाहन नष्ट हो चुके है एवं सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करने की स्थिति में भी नहीं है, परन्तु अधिकांश वाहन स्वामियों द्वारा अधिनियम की धारा 55 के तहत् अपने पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त नहीं करवाये गये है। जन लेखा समिति की समय–समय पर आयोजित बैठकों में भी नष्ट हो चुके वाहनों पर देय कर की अवसूली पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये, इस प्रकार नियमों की अवहेलना कर संचालित वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र को निरस्त किया जाना अतिआवश्यक है, ताकि ऐसे वाहनों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नही किया जा सके।

5. उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए विभाग का यह अभिमत है कि मोटर वाहन पंजीयन अधिकारियों द्वारा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं इसके अधीन बने नियमों की अनुपालना में तत्परता से कार्य कर अधिनियम की धारा 53 एवं 54 के तहत् आवश्यक कार्यवाही की जावे। **संपूर्ण राज्य में ऐसे वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त/निलंबित करने का कार्य दो चरणों मे किया जाना है। प्रथम चरण में यह कार्यवाही दिनांक 31.03.2001 तक पंजीकृत समस्त श्रेणी के वाहनों के विरूद्ध अभियान के रूप में की जानी है। द्वितीय चरण में यह कार्यवाही दिनांक 01.04.2001 के पश्चात् पंजीकृत वाहनों जो 15 वर्ष से अधिक पुराने है के विरूद्ध नियमित रूप से की जानी है। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सभी पंजीयन अधिकारियों को निम्न निर्देश** प्रदान किये जाते हैः–

(क) **<u>दिनांक 31.03.2001 तक पंजीकृत वाहनों के संबंध में दिशा निर्देश (प्रथम चरण)</u>**:—

दिनांक 31.03.2001 तक पंजीकृत वाहनों में दो श्रेणी के वाहन सम्मिलित है प्रथम श्रेणी में ऐसे गैर परिवहन यान जिनके द्वारा आदिनांक तक अपने पंजीयन प्रमाण पत्रों का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है एवम् दूसरी श्रेणी में ऐसे परिवहन यान जिन्हें राजस्थान मोटर वाहन नियम, 1990 के नियम 4.1-A के तहत् वाहन के प्रथम पंजीयन से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर अपने वाहनों का पुनः पंजीयन नही करवाया गया हो अथवा ऐसे परिवहन यान जिनके द्वारा अपने वाहन का पुनः पंजीयन तो करवा लिया गया था परन्तु तत्पश्चात् प्रत्येक 15 वर्ष के अंतराल पर अपने पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नही करवाया गया है सम्मिलित होंगे।

यह स्पष्ट है कि उक्त अवहेलना के कारण ऐसे वाहनों का अधिनियम की धारा 53(1) के तहत् पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किया जा सकता है तथा जहां इस धारा के तहत् निलंबन बिना अवरोध के कम से कम 6 माह की अवधि तक जारी रहता है तो ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र धारा 54 के तहत् निरस्त किया जा सकता है। इस हेतु विभिन्न पंजीयन अधिकारियों द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की जावेः

(1) ऐसे परिवहन यान एवम् गैर—परिवहन यान जिनके द्वारा क्रमशः अपने वाहनों का पुनः पंजीयन नही करवाया गया हो अथवा पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नही करवाया गया हो, की पृथक—पृथक सूची तैयार की जावे। इस सूची में वाहन का पंजीयन अनुक्रमांक, वाहन स्वामी का विवरण एवं पंजीयन रिकार्ड में/पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित पते का विवरण अंकित किया जावे।

(2) चूंकि पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन हेतु वाहन स्वामी को नोटिस जारी कर सुनवाई का अवसर दिया जाना अनिवार्य है। अतः उपरोक्त तैयार की गई सूची में वर्णित वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र अधिनियम की धारा 53 के तहत् निलंबित करने हेतु नोटिस का प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्रों में करवाया जावे। परिवहन एवं गैर परिवहन वाहनों के नोटिस का प्रकाशन पृथक—पृथक कराया जावे। ऐसे वाहन स्वामियों को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 30 दिवस का समय दिया जाये एवं इसका स्पष्ट उल्लेख नोटिस में भी किया जावे।

(3) नोटिस के प्रकाशन के पश्चात् जिन वाहन स्वामियों द्वारा इस नोटिस के प्रत्युत्तर में कोई अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया हो, पर विचार कर

तद्नुसार निर्णय लिया जावे। ऐसे प्रकरण जिनमें वाहन स्वामी द्वारा कोई भी अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया हो अथवा नोटिस के प्रकाशन में निर्धारित अवधि में नियमानुसार कार्यवाही नहीं की गई हो के पंजीयन प्रमाण पत्र मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 53(1)(a) में वर्णित परिस्थितियों के लिए उल्लेखित प्रावधान के तहत् पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित किया जावे। धारा 53(1)(a) में वर्णित परिस्थिति गैर परिवहन यानों के लियें मुख्यतः वाहन पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं करवाना तथा परिवहन यानों के संदर्भ में वाहन के प्रथम पंजीयन दिनांक से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर वाहन का पुनः पंजीयन नही करवाना एवं अगर वाहन का पुनः पंजीयन करवाया गया है तो ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नही करवाना तथा वाहन द्वारा अपने वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नही करना इत्यादि सम्मिलित है। अतः ऐसे प्रकरणों में पंजीयन अधिकारी द्वारा जारी निलंबन आदेश में इस बात का उल्लेख किया जावे कि प्रार्थी का पंजीयन प्रमाण पत्र गैर परिवहन यानों के सदर्भ में अपने पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण तथा परिवहन यानों के सदर्भ में अपने वाहन का पुनः पंजीयन, वाहन के पुनः पंजीयन के पश्चात् पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नही करवाये जाने की अवधि अथवा वाहन का फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करने तक के लिए होगा। पारित आदेश में पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन के कारणों का स्पष्ट उल्लेख पंजीयन अधिकारी द्वारा आवश्यक रूप से किया जावे। समान प्रकृति के प्रकरणों में पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन का आदेश common order द्वारा भी पंजीयन अधिकारी द्वारा पारित किया जा सकता है।

(4) ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (3) मे निलंबन आदेश पारित करने के उपरांत पंजीयन अधिकारी के समक्ष दो परिस्थिति संभावित है।

(i) प्रथम जहां उक्त निलंबन आदेश की पालना में वाहन स्वामी द्वारा निलंबन आदेश में वर्णित खामियों का निवारण निलंबन आदेश पारित करने की 6 माह की अवधि में कर दिया हो।

(ii) द्वितीय जहां 6 माह से अधिक अवधि का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी वाहन स्वामी द्वारा निलंबन आदेश में वर्णित खामियों की पूर्ती नहीं की गई हो।

प्रथम परिस्थिति में पंजीयन अधिकारी द्वारा उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने स्वविवेक से युक्तियुक्त निर्णय लिया जाना

है। वहीं द्वितीय परिस्थिति में आने वाले प्रकरणों में पंजीयन अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 54 के तहत् आवश्यक रूप से पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त किया जावेगा।

(5) ऊपर वर्णित बिन्दु संख्या (4) के अनुसरण में पंजीयन अधिकारी केवल उन वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करेगा जिन प्रकरणों में वह ऐसे वाहनों का मूल पंजीयन अधिकारी है। जिन प्रकरणों में पंजीयन अधिकारी मूल पंजीयन अधिकारी नहीं है, में उसके द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने का आदेश पारित नहीं किया जायेगा, अपितु उसके द्वारा ऐसे वाहनों की सूचना मूल पंजीयन अधिकारी को पत्र द्वारा तथा e-mail पर उपलब्ध करवाई जायेगी जंहा संभव हो ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र भी मूल पंजीयन अधिकारी को उपलब्ध करवायेगा। मूल पंजीयन अधिकारी को उपलब्ध करवाई गई सूचना में पंजीयन अधिकारी द्वारा पूर्व में वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित करने का तथा निलंबन अवधि 6 माह से अधिक होने का उल्लेख किया जावेगा। मूल पंजीयन अधिकारी को जब उक्त सूचना प्राप्त होगी तो उसके द्वारा आवश्यक रूप से ऐसे प्रकरणों में अधिनियम की धारा 54 के तहत् पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी। वहीं निरस्त किये गये पंजीयन प्रमाण पत्र का विवरण वाहन सॉफ्टवेयर पर भी आवश्यक रूप से किया जायेगा।

(6) सभी पंजीयन अधिकारियो द्वारा इस आदेश की पालना में जारी पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबन/निरस्त करने की प्रत्येक माह की सूचना आगामी माह की 5 तारीख तक अतिरिक्त परिवहन आयुक्त (पी.डी.) को भिजवाई जायेगी इसके अतिरिक्त पारित आदेशों की एक प्रति ई–मेल द्वारा विभाग के सिस्टम ऐनालिस्ट को transport.it@rajasthan.gov.in पर भिजवाई जायेगी। सिस्टम ऐनेलिस्ट द्वारा इन आदेशों को विभाग की वेबसाइट पर भी public domain में प्रदर्शित किया जायेगा तथा परिवहन आयुक्त कार्यालय की P&D शाखा द्वारा प्रत्येक पंजीयन अधिकारी से प्राप्त सूचना का पृथक–पृथक संकलन Excel Sheet पर किया जावेगा तथा प्रत्येक माह की सूचना संकलित कर यह सूचना सांख्यिकी शाखा द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक परिवहन आयुक्त के अवलोकनार्थ प्रस्तुत की जायेगी।

पंजीयन अधिकारियों द्वारा उक्त प्रथम चरण की कार्यवाही दिनांक 15.05.2017 तक पूर्ण की जानी है।

(ख) **<u>31.03.2001 के पश्चात् पंजीकृत वाहनों के संबंध में दिशा निर्देश (द्वितीय चरण):–</u>**

चूंकि प्रथम चरण में ऐसे वाहनों की काफी बड़ी संख्या होगी जिनमें वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने होंगे। वहीं चूंकि प्रत्येक पंजीयन अधिकारी को वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र के निलंबन एवं इसे निरस्त करने के बीच 6 माह का समय मिलेगा अतः सभी पंजीयन अधिकारियों द्वारा इस अवधि में ही दिनांक 31.03.2001 के पश्चात् नियमित रूप से प्रतिदिन ऐसे परिवहन एवं गैर परिवहन यान जिनकी पंजीयन तिथि 15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुकी है तथा जिनके द्वारा इस अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी अपने परिवहन वाहनों का पुनः पंजीयन/पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं करवाया गया हो, फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया हो अथवा अपने गैर परिवहन यानों के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं करवाया गया हो, ऐसे वाहनों के विरूद्ध भी प्रथम चरण में वर्णित प्रक्रिया अनुसार वाहनों के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त/निलंबित किये जाने की कार्यवाही की जानी है। द्वितीय चरण की कार्यवाही भविष्य में निरंतर रूप से प्रथम चरण में दिये गये निर्देशों के अनुरूप की जानी है। पंजीयन अधिकारियों की सहूलियत को दृष्टिगत रखते हुए यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के माह अक्टूबर एवं माह अप्रेल में उक्त कार्यवाही नियमित रूप से की जावे। पंजीयन अधिकारी एक वित्तीय वर्ष में दो से अधिक बार भी उक्त कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

6. यहां यह भी उल्लेखित किया जाता है कि किसी भी वाहन जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र पंजीयन अधिकारी द्वारा निरस्त किया गया है अगर संचालित होते हुए पाया जाता है तो ऐसे वाहन से राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम एवं इसके अधीन बने नियमों के तहत् आरोपित समस्त कर मय शास्ती के देय होगा। वहीं इस बात का उल्लेख भी पंजीयन अधिकारी द्वारा पंजीयन प्रमाण पत्र निलम्बन/निरस्त करने के आदेश में आवश्यक रूप से किया जावेगा। वहीं कतिपय प्रकरण ऐसे भी होगें जहाँ वाहन स्वामी द्वारा अपने वाहन का कर पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त करने की तिथि से पूर्व जमा करवाया गया हो। इन प्रकरणो मे वाहन स्वामी को उसके द्वारा जमा करवाये गये कर का refund देय नहीं होगा। चूंकि वाहनों के पंजीयन पत्र निरस्त/निलंबन करने का कार्य बेहद संवेदनशील है अतः इस कार्य हेतु सभी पंजीयन अधिकारियों द्वारा सावधानीपूर्वक कार्यवाही की जानी है। उक्त आदेश पारित करने अथवा नोटिस जारी करने से पूर्व सभी पंजीयन अधिकारियों द्वारा कुछ सावधानियां सुनिश्चित की जानी आवश्यक है, ताकि विभाग को अनावश्यक कानूनी पेचीदगियों का सामना ना करना पडे। **<u>अतः सभी पंजीयन अधिकारियो को पंजीयन प्रमाण पत्र निलंबित/निरस्त करने से पूर्व निम्न सावधानियां सुनिश्चित की जानी है:–</u>**

(1) क्या पूर्व में विभाग द्वारा समय –समय पर जारी एमेनेस्टी योजनाओं के तहत् अथवा मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत् वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त तो नही किया गया है।

(2) क्या वाहन को विभाग द्वारा अन्य राज्य हेतु NOC तो जारी नही की गई है।

(3) क्या वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानो के तहत् कार्यालय में समर्पित तो नही किया गया है।

(4) क्या ऐसा वाहन किसी अन्य जिले में फिटनेस तो प्राप्त नही कर रहा है तथा क्या वाहन अंतर्जिला कर चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त कर किसी अन्य जिले में तो संचालित नही किया जा रहा है। इस जानकारी की सूचना पंजीयन अधिकारी द्वारा वाहन National Register से प्राप्त की जावे। इस संबंध में पूर्व में ही सभी पंजीयन अधिकारियों को login ID/Password उपलब्ध करवाये जा चुके है।

उपरोक्त प्रकरणों में वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र निरस्त/निलंबित करने की कार्यवाही नहीं की जानी है।

7. यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाना आवश्यक है कि चूंकि केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 52(3) एवं राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 4.2/A (2)(i) में क्रमशः यह प्रावधान है कि कोई भी गैर परिवहन यान जिसके पंजीयन प्रमाण पत्र का निर्धारित समयावधि में नवीनीकरण नहीं करवाया गया है अथवा किसी परिवहन यान का पुनः पंजीयन निर्धारित अवधि में नहीं करवाया गया है तो ऐसे वाहन इन नियमों के तहत वैध रूप से पंजीकृत नहीं माने जायेगें। अतः अगर पंजीयन अधिकारी के पास यह मानने का पर्याप्त आधार है कि संबंधित वाहन द्वारा उक्त नियमों की अवहेलना की गई है तो ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र को, वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र की अवधि के 15 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात् के प्रथम दिवस से निरस्त किया जायेगा।
उदाहरण के लिये माने की किसी वाहन का प्रथम पंजीयन 28.07.1995 को हुआ हो तो ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 27.07.2010 तक वैद्य होगा। परन्तु अगर ऐसे वाहन के पंजीयन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण अथवा ऐसे वाहन का पुनः पंजियन (यथा स्थिती), निर्धारित समयावधि मे नहीं करवाया गया है तो संबंधित पंजीयन अधिकारी द्वारा ऐसे वाहन का पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 28.07.2010 से निरस्त किया जायेगा।

8. यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कोई पंजीकृत वाहन स्वामी जो पंजीयन अधिकारी के आदेश से व्यथित है तो ऐसा व्यक्ति राजस्थान मोटर वाहन नियम 1990 के नियम 4.15 के तहत संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के समक्ष नियमानुसार अपील प्रस्तुत कर सकेगा।

9. उपरोक्त कार्य का नियमित पर्यवेक्षण संबंधित प्रादेशिक परिवहन अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ जिलों के भ्रमण के दौरान एवं उनके स्तर पर समय–समय पर जिला परिवहन

अधिकारियों की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में भी किया जावे, तथा उक्त आदेशो की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांकः एफ 7(549) परि/नियम/मु/2016/21479-487 जयपुर, दिनांकः 30.09.2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, सार्वजनिक निर्माण एवं परिवहन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्य मंत्री।
3. निजी सहायक, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
4. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण..।
5. प्रादेशिक / अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी(समस्त)....................................।
6. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट।
7. श्री लीलाधर SSA, NIC ।
8. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)